न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राम रतन सौंकरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 03/2024

कुरडाराम पुत्र मंगलाराम,जाति जाट निवासी गोदारो का बास, भोड़की तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. फूलचन्द पुत्र चिमनाराम, जाति जाट, निवासी गोदारो का बास, भोड़की तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू ।

–रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय 18.01.2024 मु. नं. 01/2024
न्यायालय तहसीलदार गुढागौडजी, उनवानी फूलचन्द बनाम कुरडाराम
अं0 धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति:–

1 .श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट ————अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री विजयपाल ,एडवोकेट————रेस्पोंडेन्ट नंबर 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट नं.2 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 23/5/24

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उपरोक्त उनवानी प्रकरण फूलचन्द बनाम कुरडाराम मु0नं0 01/2024 अ. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, निर्णय दिनांक न्यायालय तहसीलदार गुढागौडजी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अपीलांट का कथन है कि " विधिक स्थिति के अनुसार सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व उक्त धारा के अन्तर्गत प्रकरण के प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

उक्त संबंधित इस्तदुआ के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था, लेकिन इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पेश नहीं किया गया है, इसके बावजूद विधिक प्रावधानों से बाहर जाकर उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो किसी भी रूप में पोषणीय नहीं होने, विधि विरूद्ध व विरूद्ध पत्रावली होने से निर्णय दिनांक 18.1.2024 निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे प्रकरण में जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.1.2024 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। स्वीकृत रूप से प्रकरण दिनांक 11.1.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया है, विधिक स्थिति के अनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने के बाद दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जबकि प्रकरण में ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा दिनांक 9.1.2024 की रिपोर्ट से पूर्व अपीलार्थी को प्रकरण बाबत कोई भी जानकारी नहीं थी। दिनांक 9.1.2024 की रिपोर्ट में भी यह अंकित नहीं किया गया है कि किनकी मौजूदगी में मौका देखा गया, प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह रहवासी मकानात बाबत पेश किया गया है, जबकि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान केवल मात्र काश्त भूमि बाबत हैं, जबकि आक्षेपित आदेश में सुखाधिकार बाबत आदेश पारित किया है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश विधिक प्रावधानों से विपरित जाकर पारित किया गया है।

अपीलांट का कथन है कि उक्त तथाकथित रास्ते पर अतिक्रमण मनोहर पुत्र कुरडाराम द्वारा किया गया है जो कि प्रकरण में पक्षकार नहीं है, जिसे पक्षकार बनाये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार गुढागौडजी द्वारा जिला कलक्टर झुंझुनू को प्रेषित पत्र में वैकलपिक रास्ते बाबत विस्तृत विवरण अंकित किया है, इस तरह से वैकल्पिक कटानसुदा रास्ता मौके पर होने के बावजूद इस ओर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर इस बाबत कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसकी आड़ में प्रार्थी/अपीलांट के पुराने निर्माण को तुड़वाना चाहता है, जिस बाबत प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू के निर्णय दिनांक 18.1.2024 को अपास्त एवं निरस्त फरमाया जावे तथा अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमानजी न्याय हित में एवं अपीलार्थी के पक्ष में हो, वह भी पारित करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया गया कि– '' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही केवल मात्र हल्का पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 को आधार मानकर प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उक्त तथाकथित रास्ते पर अतिक्रमण मनोहर पुत्र कुरडाराम द्वारा किया गया है जो कि प्रकरण में पक्षकार नहीं है, जिसे पक्षकार बनाये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार गुढागौडजी द्वारा जिला कलक्टर झुंझुनू को प्रेषित पत्र में वैकलपिक रास्ते बाबत विस्तृत विवरण अंकित किया है, इस तरह से वैकल्पिक कटानसुदा रास्ता मौके पर होने के बावजूद, इस ओर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर तथा इस बाबत कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसकी आड़ में प्रार्थी/अपीलांट के पुराने निर्माण को तुड़वाना चाहता है आदि।''

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट नंब 1 का कथन है कि अपीलांट ने ग्राम गोदारों का बास में भूमि खसरा नंबर 1518 के पुराने प्रचलित रास्ते को पत्थर, सीमेन्ट के ब्लाक व टीनसेड आदि बनाकर अवरूद्ध किये जाने पर उनके द्वारा चालू रास्ते को खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुढागौडजी को प्रस्तुत किया गया था, उनके घर व खेत में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, चालू रास्ते को बंद नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

गुढागौडजी द्वारा हल्का पटवारी से रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को विधिक प्रकिया के अंतर्गत नोटिस जारी कर सुना जाकर निर्णय दिनांक 18.1.2024 पारित किया गया है जिसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.1.2024 को रास्ते से अवरूद्ध हटाकर रास्ते को आवागमन हेतू चालू करवाया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा बताया गया कि अपीलाट फूलचंद द्वारा ग्राम गोदारों का बास के भूमि खसरा नंबर 1518 के रास्ते में पत्थर डालकर व सीमेन्ट के ब्लॉक से टीन सेड बनाकर अवरूद्ध करने पर उसे विधिक प्रकिया के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा निर्णय दिनांक 18.1. 2024 पारित किया गया है जिसकी पालना में पुलिस इमदाद के साथ दिनांक 25.1.2024 को हल्का पटवारी द्वारा अवरूद्ध हटवाया जाकर रास्ते में आवागमन चालू करवाया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही केवल मात्र हल्का पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 को आधार मानकर प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उक्त तथाकथित रास्ते पर अतिक्रमण मनोहर पुत्र कुरडाराम द्वारा किया गया है जो कि प्रकरण में पक्षकार नहीं है, जिसे पक्षकार बनाये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार गुढागौडजी द्वारा जिला कलक्टर झुंझुनू को प्रेषित पत्र में वैकलपिक रास्ते बाबत विस्तृत विवरण अंकित किया है, इस तरह से वैकल्पिक कटानसुदा रास्ता मौके पर होने के बावजूद, इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर तथा इस बाबत कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसकी आड़ में प्रार्थी/अपीलांट के पुराने निर्माण को तुड़वाना चाहता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि हस्तगत प्रकरण दिनांक 11.1.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी के लिए दिनांक 16.1.2024 नियत की गई है जिस पर अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये हैं लेकिन उनकी ओर से कोई लिखित जवाब या साक्ष्य सबूत पेश नहीं हुआ है और दिनांक 18.1.2024 को निर्णय पारित किया गया है ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनका पक्ष बिना सुने एवं सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 18.1.2024 पारित किया है, न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2024 उनवानी सरकार फूलचंद बनाम कुरडाराम मु0नं0 01/2024 अं0 धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गुढागौड़जी को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि " प्रकरण में विवादित रास्ते की भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर उभय पक्षकारान को विधिक प्रकिया के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनःविधिसम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे न्यायालय तहसीलदार गुढागोडजी के समक्ष दिनांक 24/6/24 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.05.28 16:47:29 IST
Reason: SelfAttested